न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 78/2025 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/131**
दायर दिनांक :– **08.04.2025** **निर्णय दिनांक :–** **28.05.2025**

1. रेज प्राईम पावर प्राईवेट लिमिटेड जरिये विमल चन्द डागा पता नवकार दुर्गा माता मन्दिर के पास, रानी बजार के सामने, बीकानेर जिला बीकानेर

–प्रार्थी

बनाम

1. चिन्मय मेहरा पुत्र डॉ. निरंजन मेहरा जाति भांबी निवासी सतखंडा जिला चितोड़गढ
2. विश्वास मेहरा पुत्र डॉ. निरंजन मेहरा जाति भांबी निवासी सतखंडा जिला चितोड़गढ
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधि. अप्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायालय हाजा में अप्रार्थीगण के विरूद्व पेश किया है प्रार्थी का वाद अभिवचन एवं दस्तावेजात के अधार पर प्रथम दृष्टयां साबित है एवं प्रार्थी को वाद में सफलता मिलने की शत प्रतिशत उम्मीद है। प्रार्थी द्वारा सोलर उर्जा उत्पादन के लिये विभिन्न क्षेत्र में मल्टी नेशलन सोलर उत्पादन कम्पनीयों को भूमि लीज पर उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम से खातेदारी की काश्त भूमि ग्राम कल्याणसिंह की सिड पटवार क्षेत्र कल्याणसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 87 रकबा 76.4693 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने अपने नाम दर्ज उक्त भूमि को लीज पर देने के लिये वादी से सम्पर्क करके प्रार्थी के सामने उक्त भूमि को लीज पर देने का प्रस्ताव रखा जिसको प्रार्थी के द्वारा स्वीकार किया गया और प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के मध्य इकरारनामा तहरीर करना तय हुआ। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 दिनांक 09.12.024 को प्रार्थी के पक्ष में उपरोक्त वर्णित भूमि को लीज पर देने हेतु एक इकरारनामा में उल्लेखित शर्तो के अनुसार प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को रकम रूपये 10,000/– अग्रिम रूप में प्रदान किये गये जिसका उल्लेख इकरारनामा मे स्पष्ट किया हुआ है। जिसको अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा स्वीकार एवं अंगीकार किया गया है अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा उसी दिन प्रार्थी को पूर्ण रूप से विश्वास दिलाया कि उक्त भूमि सोलर प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाकर लीज पर प्रार्थी के पक्ष में या प्रार्थी के द्वारा कहे अनुसार किसी

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अन्य कम्पनी के पक्ष में लीज निष्पादित करवा दी जायेगी जिसका भी इकरारनामा में पूर्ण रूप से उल्लेख किया हुआ है और अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने स्वीकार किया है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को उपरोक्त वर्णित भूमि को इकरारनामा में उल्लेखित शर्तो के अनुसार लीजा पर देने का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा आश्वासन देते रहे लेकिन अभी दिनांक 01.04.2025 को प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को पुनः निवदेन किया तो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा इकरारनामा में वर्णित शर्तो को मानने से इन्कार करते हुवे उक्त भूमि प्रार्थी को लीज पर देने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया और प्रार्थी को धमकी दी की हम हमारी उक्त भूमि को किसी अन्य सोलर कम्पनी को लीज पर दे रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थी के पक्ष में उपरोक्त भूमि लीज पर देने का इकरारनामा निष्पादित करवाये जाने से तथा उक्त इकरारनामा आज भी प्रभाव में होने से प्रार्थी का उक्त भूमि में हित निहित हो जाने से अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को किसी भी प्रकार का कोई अन्य किसी तीसरे पक्षकार के पक्ष में संव्यवहार नहीं करे अगर अप्रार्थीगण विवादित भूमि को किसी अन्य व्यक्ति या कम्पनी को हस्तान्तरण कर देते है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्याकन रूप्यों में नहीं किया जा सकता है। इसलिये प्रार्थी को उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होने से वर्तमान अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक होने से प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 ता 2 की और से अधिवक्ता राजेन्द्रसिंह सोंलकी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

वादगस्त भूमि की जमाबंदी सम्वत 2075–2078 ग्राम कल्याणसिंह की सिड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 ग्राम कल्याणसिंह की सिड के खसरा नम्बर 87 रकबा 76.4693 हैक्टेयर भूमि के अभिलिखित खातेदार है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के साथ इकरारनामा वादग्रस्त भूमि को लीज पर देने हेतु किया था परन्तु प्रार्थी ने किसी प्रकार की लीज का सम्पादन नहीं करवाया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी वादग्रस्त भूमि को अजनबी केता के बेचान कर सकता है। अभिलिखित खातेदार को अस्थायी

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

निषेधाज्ञा से रोका जाना उचित नहीं है। प्रार्थी और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 जैरकार है। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र और जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 के नाम खातेदारी की दर्ज है अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को अपने प्राथमिक अधिकारों यथा आराजी के उपयोग–उपभोग, बेचान, हस्तान्तरण आदि सुविधाओं से वंचित हो सकते है। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अपूरणीय क्षति

अतपूरणीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा अन्तर्गत धारा 188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुवे है।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है तथा पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 08.04.2025 खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)